

Form no. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
विकास अधिकारी पंचायत समिति सूरतगढ
बनाम

1. ग्राम पंचायत बीरमाना तहसील सूरतगढ जरिये ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बीरमाना
2. सरपंच ग्राम पंचायत बीरमाना तहसील सूरतगढ
3. गुड्डी देवी पुत्र लिष्मणराम जाति कुम्हार निवासी 7 एमसी ग्राम पंचायत बीरमाना तहसील सूरतगढ

किस्म मुकदमा- निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम

प्रकरण संख्या- 100/2018

जीसीएमएस प्र0स0- 2018/00085

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हए
21.10.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगरानीकर्ता एवं निगरानीकर्ता स्वयं अनुपस्थित। बार-बार आवाजे लगाई गई। परन्तु अधिवक्ता निगरानीकर्ता एवं निगरानीकर्ता दोनो ही हाजिर नही आये। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी अदम पैरवी अदम हाजरी में इसी स्तर पर खारिज की जाती है।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">(कन्हैयालाल सोनगरा) अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ (श्री गंगानगर)</p>	

